COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प जबलपुर

I/निगरानी/कटनी/भू.रा/2017/4320 रा.पु.या.क्रं.............................../२०१७

आवेदक

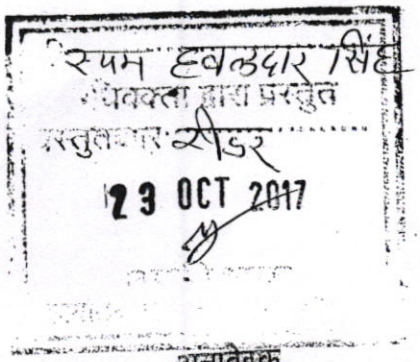

हवलदार सिंह
पिता स्वं. जगम सिंह
उम्र ७० वर्ष
निवासी-मकान नं. ५४५,
सुभाष नगर, गोहलपुर थाने के पीछे, जबलपुर
जिला-जबलपुर (म.प्र.)

स्वयं हवलदार सिंह
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
23 OCT 2017

विरूद्ध

अनावेदक

439

१. जिलाध्यक्ष कटनी
जिला कटनी म.प्र.

२. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग बहोरीबंद,
जिला कटनी म.प्र.

३. नायब तहसीलदार स्लीमनाबाद,
तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी म.प्र.

४. महाप्रबंधक
स्वेल माईंस लिमिटेड, ग्राम गुदरी,
तहसील बहोरीबंद जिला कटनी (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिक अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भू-राजस्व संहित, १९५९

(आयुक्त जबलपुर संभाग द्वारा अपील क्रमांक १०८२/बी-१२१/२०१२-१३ में पारित आलोच्य आदेश दिनांक ५.६.२०१७ से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारों एवं तथ्यों पर प्रस्तुत की जा रही है)

(3)

प्रकरण के तथ्य

OATH COMMISSIONER

यह कि, आवेदक भूमि खसरा नं. ६२, रकवा ०.८६ हेक्टेयर जो पटवारी हल्का नं.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/कटनी/भू.रा./2017/4320 **जिला** – कटनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.02.2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि आवेदक की भूमि सड़क हेतु अधिगृहीत किए जाने के कारण भूमि के बदले अन्य भूमि दिए जाने के संबंध में है। आवेदक द्वारा उसकी जितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है, उसके बदले में अन्य शासकीय भूमि दिए जाने की मांग की जा रही है। आवेदक की उक्त मांग विधि सम्मत प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं है कि यदि शासन द्वारा जनहित में किसी कृषक की भूमि का अधिग्रहण किया जाये तो उसे उतनी भूमि बदले में दी जाए। नियमानुसार उसे मुआवजा दिया जाता है। आवेदक यह बताने में असमर्थ रहे कि उन्हें मुआवजा प्राप्त हो चुका है या नहीं। अतः आवेदक की भूमि प्रदान करने की मांग उचित प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	